

नोटिस

एनआरएसएस XXIX ट्रांस्मिशन लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस: यूनिट नं. 101, पहली मंजिल, विंडसर, गांव कोलेकल्याण, सांताकुञ्ज (पूर्व),
मुंबई, मुंबई शहर, महाराष्ट्र-400098 भारत

CIN NO : U40106MH2013GOI359686

बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत

1. एनआरएसएस XXIX ट्रांस्मिशन लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस तथा पत्र व्यवहार का पता यूनिट नं. 101, पहली मंजिल, विंडसर गांव, कोलेकल्याण ऑफ सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, सांताकुञ्ज (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र-400098 पर स्थित है, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित है, ने सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेयुलेटरी कमीशन, नई दिल्ली के समक्ष सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेयुलेटरी कमीशन (प्रोसिजर, टर्म्स एंड कंटीशन्स फॉर ग्रांट ऑफ ट्रांस्मिशन लाइसेन्स एंड अदर रिलेटेड मैटर्स) रेयुलेशन्स, 2009 के साथ पठित बिजली अधिनियम 2003 की धारा 14, 15, 79(1)(e) के अंतर्गत रेयुलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म (RTM) के जरिए ट्रांस्मिशन प्रोजेक्ट को कमीशन किए जाने के लिए एनआरएसएस XXIX ट्रांस्मिशन लिमिटेड के लिए लाइसेंस की मांग की है। जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	सबस्टेशन (स्थान) का नाम (ट्रांस्मिशन स्कीम का कार्यक्षेत्र)	क्षमता	सीटीयूआईएल द्वारा आकलित लागत	कमीशन होने का शिख्यूल
1.	अमरगढ़ (GIS) S/s में ट्रांसफार्मर्स शक्ति को संबद्ध ट्रांसफार्मर बैज के साथ बढ़ाकर 1x315 MVA 400/220 kV ICT (तीसरा) (105 MVA की तीन सिंगल फेस यूनिट्स) करना* *GIB (220 kV तथा 245 1-ph इंडोर और आउटडोर GIB) के साथ	<ul style="list-style-type: none"> ● 315 MVA, 400/220 kV ICT-1 नं. (105 MVA के तीन नं. सिंगल फेस यूनिट्स) ● 400 kV ICT बे (GIS)-1 नं. +1 नं. अतिरिक्त बे डायामीटर को पूरा करने के लिए (नोट 2 देखें) ● 220 kV ICT बे (GIS)-1 नं. 	रु. 82.04 करोड़ (किमित लेवल, 2022) CTU आकलन के अनुसार	CTUIL अँन ट्रांस्मिशन द्वारा प्रोजेक्ट का अवार्ड दिए जाने की तिथि अर्थात् 21.04.2023 से 21 महीने

2. किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए संपूर्ण आवेदन तथा अन्य कागजात वेबसाइट <https://www.indigrid.co.in/documents-manager/> पर उपलब्ध हैं। आवेदक इनका निरीक्षण भी कंपनी के ऑफिस यूनिट नं. 101, पहली मंजिल, विंडसर गांव, कोलेकल्याण ऑफ सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, सांताकुञ्ज (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र-400098 पर श्री पिंकेश कुमार से संपर्क करके या कमीशन के ऑफिस पर कमीशन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके कर सकता है।
3. अगर कोई आपत्तियां या सुझाव हों, तो समाचार पत्र में इस नोटिस/सूचना के प्रकाशित होने से 30 दिनों के अंदर, आवेदक सेक्रेटरी, सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेयुलेटरी कमीशन, तीसरी और चौथी मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001 के समक्ष, इसकी एक प्रति आवेदक को कार्पोरेट ऑफिस के पते पर देते हुए, दर्ज की जा सकती है।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28.07.2023

ह/-

मेघना पंडित
डायरेक्टर